

फर्द अहकाम

गोपाल बनाम मन्नालाल यगौ

वा पत्र संख्या: 161 / 2024

म ख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------	--------	----------------------	-------------

21.06.2024

वकील वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 02.07.2024 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2/2/24

पत्रावली पेश की गई। अधिवक्ता मध्य द्वारा आज वादीगण को पेश करने के कारण पत्रावली पेश की जा सकती। पीओ के द्वारा पत्रावली पेश की जा रही है। अतः पत्रावली पेश की जा रही है। 20/7/24 पेश हो।

30/7/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपखण्ड। वादी ने वाद को NOT PRESS कर खोज निकाले जाने का निवेदन किया। वादी का वाद Not Press के आधार पर खोज निकाला है। पत्रावली केवल थुमार डेक, दर्ज नाम पर है। वाद तकमील दाखिल किया है।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सीबानेर)

Not Press
Raw Adv
30/7/24
(राजेश खाना)
R 330/2008
9414823903

